रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 300] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 29, 1975/कार्तिक 7, 1897

No. 300] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 29, 1975/KARTIKA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October 1975

G.S.R. 544(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with Governments of the States concerned and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Second Amendment Regulations, 1975.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 in the entries against Serial No. 6 relating to the State of Jammu & Kashmir, in column 3 for the item 'Additional Chief Secretary', the following item shall be substituted, namely :—

"Planning Commissioner".

[No. 14015/23/75-AIS(I)]

S. P. MUKERJI, Jt. Secy.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1975

सां० का० नि० 544 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) द्वितीय संशोधन विनियम 1975 है ।

(2). ये तत्काल लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की अनूसूची में क्रम संख्या 6 के सामने जम्मु व काश्मीर राज्य से सम्बन्धित कालम 3 की प्रविष्टियों में सरकार के "अपर मुख्य सचिव" मद के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी :—

"योजना आयुक्त"

[सं० 14015/23/75-अ०भा० से० (I)]

एस० पी० मुखर्जी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975